

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग-2010
प्रवेश निरस्तीकरण के सम्बन्ध में
संस्थाओं एवं प्रवेशित उम्मीदवारों के लिये सूचना

जिन उम्मीदवारों ने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा प्रवेश उपरांत अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं, उनका प्रवेश संस्था द्वारा, संस्था स्तर पर उम्मीदवारों के आवेदन के आधार पर ऑनलाइन निरस्त किये जावेंगे। तथा नियमानुसार संस्था द्वारा उम्मीदवार द्वारा संस्था में जमा की गई शुल्क में से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि वापिस कर दी जावेगी। उक्त निरस्तीकरण की सुविधा प्रवेश के लिये माननीय कुलाधिपति द्वारा घोषित अंतिम तिथि के सात दिन पूर्व तक रहेगी। चूंकि निरस्तीकरण ऑनलाइन होना है अतः 7 दिन पूर्व संस्थाओं के लॉगइनआईडी पर निरस्तीकरण की लिंक बंद कर दी जावेगी। अतः यथासमय उम्मीदवारों के आवेदन के आधार पर तत्काल निरस्तीकरण की कार्यवाही करें।

संस्थाएं निरस्तीकरण हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करें तथा अपने लॉगइनआईडी के माध्यम से ऑनलाइन एण्ट्री कर निरस्तीकरण की कार्यवाही करें तथा निरस्तीकरण की पावती उम्मीदवार को अवश्य दें।

अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश